

झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण

१०-३५५४७

क्र.झोपप्रा/उजि/कार्या/टे-२/३क/अष्टविनायकसह.गृह/जाहिरसूचना/कावि-

१२०१९

दिनांक :- 13 1 JUL 2019

जाहीर सूचना

सादर जाहीर सूचनेद्वारे कळविण्यात येते की, अर्जदार श्री संजय देशमुख (मुख्यप्रवर्तक) अष्टविनायक एसआरए सह.गृह.संस्था नियोजित, जुहू मोरांगाव, रुईया पार्क, एन.ए.अहूजा मार्ग, अंधेरी (पश्चिम) मुंबई ४०००४९. यांशी मौजे-जुहू तालुका-अंधेरी येथील न.भू.क्र.४,२९अ या मिळकतीवरील क्षेत्र महाराष्ट्र झोपडपट्टी (सु.नि.व पु.) अधिनियम १९७९ कलम ३क(१)अंतर्गत झोपडपट्टी पुनर्वसन क्षेत्र घोषित करणेबाबत विनंती अर्ज दाखल केला आहे.

अर्जदार यांनी अर्जासोबत सादर केलेल्या कागदपत्रांचे आधारे मिळकतीचा तपशील खालील प्रमाणे आहे.

| अ.क्र. | न.भू.क्र. | क्षेत्र (चौ.मी.) | धारणाधिकार | धारक | इतर शिरे |
|--------|-----------|------------------|------------|--|--|
| १ | ४ | १२३२४.७ | क | द मॅनेजिंग कमिटी ऑफ फोरटीन को.ऑ.हौसिंग सोसायटी महाराष्ट्र शासन "सुरक्षित वने (कांदळवन) | ----- |
| २ | २९अ | ३७७२८.६ | क | चौदा सहकारी गृहबांधणी संस्थाचे कार्यकारी मंडळ खरेदीने ता.२६-०४-१९६० | (लेसी) त्रांबरा विश्व विद्यापीठ क्षेत्र १२९५८.०० चौ.मी. |
| एकूण | | ५००५३.३ चौ.मी | | | |


उपरोक्त नमुद मिळकतीपैकी झोपडपट्टी पुनर्वसन क्षेत्र घोषित करणे करीता प्रस्तावित क्षेत्राचा तपशील खालीलप्रमाणे.

मौजे-जुहू, तालुका-अंधेरी

| अ.क्र. | गावाचे नाव | न.भू.क्र. | मिळकत पत्रिकेनुसार क्षेत्र (चौ.मी.) | झोपडपट्टी पुनर्वसन क्षेत्र म्हणून जाहीर करावयाचे क्षेत्र (चौ.मी.) | चतुःसीमा | | | |
|--------|------------|-----------|-------------------------------------|---|--------------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| | | | | | पूर्व न.भू.क्र. | पश्चिम न.भू.क्र. | दक्षिण न.भू.क्र. | उत्तर न.भू.क्र. |
| १ | जुहू | ४ | १२३२४.७ | १०८५.८० | पर्जन्य जल उदंचन केंद्र, इर्ला | ७ | रस्ता | ४पै |
| २ | | २९अ | ३७७२८.६ | ८२.१० | २९अ पै | ७ | २९अ पै | रस्ता |
| ३ | | रस्ता | -- | ४३७.१० | रस्त्यापैकी | ७ | २९अ | ४ |
| एकूण | | | ५००५३.३ चौ.मी | १६०५.०० चौ.मी | | | | |

उपरोक्त नमुद मिळकत झोपडपट्टी पुनर्वसन क्षेत्र घोषित करणेबाबत जमीन मालक अथवा कोणाही हितसंबंधीताच्या हरकती/आक्षेप असल्यास, त्यांनी आपली हरकत/ आक्षेप सदर जाहीर सुचना प्रसिध्द झालेल्या दिनांकापासून ३० दिवसांच्या आत झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाकडे लेखी दाखल करणेबाबत कळविण्यात येत आहे.

ठिकाण : बांद्रा (पू),
मुंबई उपनगर जिल्हा


उपजिल्हाधिकारी (पश्चिम उपनगरे)
झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण